



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052026-272602  
CG-DL-E-15052026-272602

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2403]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2026/वैशाख 24, 1948

No. 2403]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2026/VAISAKHA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2026

**का.आ. 2495(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (Yet to be Assigned) के किमी. 0.000 से किमी. 19.000 (चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 के साथ जंक्शन से शुरू होकर जीरकपुर-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -5 तक समाप्त) साथ ही कनेक्टिंग यमुनानगर-पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-344 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -5 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी पंचकुला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या (Yet to be Assigned) के किमी. 0.000 से किमी. 19.000 (चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या -7 के साथ जंक्शन से शुरू होकर जीरकपुर-परवाणू राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या -5 तक समाप्त) साथ ही कनेक्टिंग यमुनानगर-पंचकुला राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या-344 और राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या -5 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: पंचकुला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पंचकुला					
गांव का नाम: देवी नगर					
1	423	निजी	गैर मुमकिन (प्राइवेट)	0.0266 (हेक्टेयर)	0.0266
गांव का नाम: खरक मंगोली					
2	148	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	0.3836 (हेक्टेयर)	0.3836
3	149 Min	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	0.0927 (हेक्टेयर)	0.0927
4	149 Min	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
5	149 Min	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.0084 (हेक्टेयर)	0.0084
6	149 Min	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट, दुकान	0.0843 (हेक्टेयर)	0.0843
7	150	निजी	खेल का मैदान	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
8	151	निजी	गैर मुमकिन मकान	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
9	154	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
10	155/1	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
11	155/2/2	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0379 (हेक्टेयर)	0.0379
12	191/2	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0211 (हेक्टेयर)	0.0211
13	299/143/1/1	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042

14	299/143/1/2	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.3836 (हेक्टेयर )	0.3836
<b>Total</b>					<b>1.1435</b>

[फा. सं. LA/11013/LA/LAC MOM/2021(computer no. 77470/3A)]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2026

**S.O. 2495(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Zirakpur Bypass National Highway No. (Yet to be Assigned) Km. 0.000 to Km. 19.000 (Starting from the junction with Chandigarh – Rajpura –Patiala NH-7 and ending at Zirakpur- Parwanoo NH-5) along with connecting between Yamunanagar – Panchkula NH-344 and NH-5 in the District of Panchkula in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer, Panchkula in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Zirakpur Bypass National Highway No. (Yet to be Assigned) Km. 0.000 to Km. 19.000 (Starting from junction with Chandigarh –Rajpura –Patiala NH-7 and ending at Zirakpur- Parwanoo NH-5) along with connecting between Yamunanagar – Panchkula NH-344 and NH-5 in the District of Panchkula in the state of Haryana**

State: HARYANA			District: PANCHKULA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Panchkula</b>					
<b>Village: Devinagar</b>					
1	423	Private	Gair Mumkin	0.0266 (Hectare )	0.0266
<b>Village: Kharak Mangoli</b>					
2	148	Government	G.M. Sadak	0.3836 (Hectare )	0.3836
3	149 Min	Government	G.M. Sadak	0.0927 (Hectare )	0.0927
4	149 Min	Government	G.M. Makaan	0.0126 (Hectare )	0.0126
5	149 Min	Government	G.M. Makaan	0.0084 (Hectare )	0.0084
6	149 Min	Government	G.M. Plot, Dukaan	0.0843 (Hectare )	0.0843
7	150	Private	Khail ka Maidan	0.0253 (Hectare )	0.0253

8	151	Private	G.M. Makaan	0.0126 (Hectare )	0.0126
9	154	Government	G.M.	0.0253 (Hectare )	0.0253
10	155/1	Government	G.M. Plot	0.0253 (Hectare )	0.0253
11	155/2/2	Government	G.M. Plot	0.0379 (Hectare )	0.0379
12	191/2	Government	G.M. Plot	0.0211 (Hectare )	0.0211
13	299/143/1/1	Government	G.M. Plot	0.0042 (Hectare )	0.0042
14	299/143/1/2	Government	G.M. Makaan	0.3836 (Hectare )	0.3836
<b>Total</b>					<b>1.1435</b>

[F. No. LA/11013/LA/LAC MOM/2021(computer no. 77470/3A)]

SHAIKH AMINKHAN, Director